भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 205
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 25 फरवरी, 2016 को दिया जाना है

कार में एयर बैग्स का प्रावधान

205. श्री अनुभव मोहंती:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय चालकों/यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए देश में निर्मित होने वाले प्रत्येक कार में एयर बैग्स के प्रावधान को अनिवार्य बनाने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालकों/यात्रियों के सुरक्षोपाय को ध्यान में रखते हुए 'कार मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन' के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (ग): विश्व के सभी देशों में एयरबैग्स अनिवार्य नहीं है किन्तु इनका उपयोग टक्कररोधी विनियमनों का पालन करने के लिए किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी टक्कररोधी विनियमनों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। ऑफसेट टक्कररोधी विनियमन के अनुसार, यात्री कारों में एयरबैग्स आवश्यक होंगे ताकि वे मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

*****